न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–76/2018 (जीसीएमएस नं. 2018/00052)

1. सुन्दर लाल पुत्र कन्हैयालाल (मृतक दौरान अपील)
   1/1. दिनेश कुमार,
   1/2. सूरजनारायण,
   1/3. सुरेश कुमार,
   1/4. नरेन्द्र कुमार पुत्रान श्री सुन्दरलाल, समस्त जाति माली निवासीयान ग्राम बदनपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
   1/5. गुलाब देवी पुत्री श्री सुन्दरलाल पत्नी सीताराम, जाति माली निवासी राधा विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।
   1/6. मीरा देवी पुत्री श्री सुन्दरलाल पत्नी रामस्वरूप, जाति माली, निवासी आकड़ो का रास्ता किशनपोल बाजार, जयपुर।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. महेन्द्र कुमार जैन पुत्र ताराचन्द, जाति जैन, निवासी जैन गार्डन बास बदनपुरा, खोले के हनुमान जी मन्दिर के पास, दिल्ली बाईपास जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री नरेश कुमार जैन, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री सुबोध जैन एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 13.06.2022

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 245 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 298/1 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 298/2 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 2 बीघा का अपीलार्थी कदीमी काबिज काश्त खातेदार है और सम्वत् 2015 के बन्दोबस्त के रिकार्ड ऑफ राईट्स से लेकर आज तक के रिकार्डस ऑफ राईट्स में भी अपीलार्थी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त खसरा नम्बर 298/1 रकबा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 298/2 रकब 12 बिस्वा का नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 06.01.1982 ग्राम बदनपुरा रेसपोडेन्ट संख्या 1 के

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हकपूर्वाधिकारी ताराचन्द ने नायब तहसीलदार जयपुर से अपने नाम स्वीकार करा लिया है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी के विरूद्ध राजाधिराज महेन्द सिंह श्रीमती मांजी साहिबा तिर्थीराज कंवर व श्रीमती विजय कंवर ने एक दावा किया था और उस दावे में अन्तरिम आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी ताराचन्द ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहॉ अपील पेश की और उस अपील में महाराजाधिकाज महेन्द्र सिंह वगैर व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी ताराचन्द में राजानामा हो गया और उस राजीनामें के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी ताराचन्द ने एक डिक्री दिनांक 06.12.1972 को राजस्व अपील अधिकारी जयपुर से अपने हक में प्राप्त कर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा लिया जिसकी नकल लेने पर अपीलार्थीगण के हकपूर्वाधिकारी सुन्दरलाल को पता चला कि उस कार्यवाही में सुन्दरलाल की कब्जे व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 298/1 व 298/2 को भी शामिल कर लिया और उस डिक्री के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी ताराचन्द ने नामन्तरकरण संख्या 133 दिनांक 06.01.1982 को नायब तहसीलदार जयपुर से अपने पक्ष में कराया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि भूमि खसरा नम्बर 298/1 व 298/2 के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष घोषणा निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है जिसमे स्वयं महेन्द्र कुमार भी ताराचन्द के स्थान पर पक्षकार बनाया जा चुका है और वह उपस्थित है इस वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.1985 के द्वारा इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की है कि प्रतिवादी इस भूमि को किसी प्रकार से मुन्तकिन न करें और राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अंकित न करावे, उक्त निर्णय राजस्व मण्डल तक प्रभावी रहा है जो आज भी प्रभावी है लेकिन इस निर्णय के प्रभावी होने पर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 महेन्द्र कुमार से मिलीभगत करके तहसीलदार जयपुर ने निर्णय जैर अपील पारित कर न केवल राजस्व मण्डल के आदेश की अहवेहना की है बल्कि अपने से उच्चतर न्यायालयों के आदेशों की भी अवहेलना की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 298/1 व 298/2 अपीलार्थी के कब्जे व खातेदारी की भूमि है जो चारों ओर बाउण्ड्रीवाल से महदूदू है तथा इस भूमि से ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का और ना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी का कोई सम्बन्ध सरोकार है। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात् ही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने कब्जे की अवधारणा अपीलार्थी के पक्ष में करते हुये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी को कब्जे में मजाहमत न करने हेतु पाबन्द किया था किन्तु तहसीलदार जयपर ने अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये एवं बिना कब्जे की जॉच किये ही नामान्तरकरण खोलने की आज्ञा देने में भारी कानूनी भूल तो की ही है और एक विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ

P.T.O.

तभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2017 में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 298/1, 298/2 वाके ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर के सम्बन्ध में निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि खसरा नम्बर 298/1 रकबा 13 बिस्वा व खसरा नम्बर 298/2 रकबा 12 बिस्वा ग्राम बदनपुरा से अपीलान्ट का कोई लेना–देना, कब्जे काश्त खातेदारी से नही रहा है, न ही नामान्तरकरण संख्या 133 दिनांक 06.01.1982 बहक अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ताराचन्द का जिक्र उक्त भूमि के अलावा दीगर आराजीयात के खातेदारी व कब्जे काश्त का इन्द्राजात थे तथा उन्होने अपने होश हवाश व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम वसीयत की जिसके आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया और उसकी अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 206 भी दिनांक 27.12.2017 को ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम तस्दीक हो चुका है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.12.2017 की जॉच पूर्व में न्यायालय श्रीमान् द्वारा अपील संख्या 470/2017 व 471/2017 उनवान कंचन देवी बनाम महेन्द्र कुमार निर्णय दिनांक 05.03.2018 से भी की जा चुकी है तथा वसीयत व वसीयत के आदेश व नामान्तरकरण को न्यायालय श्रीमान ने सही व विधि अनुरूप माना है जिसे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अपील संख्या 1639/2018 व 1645/2018 निर्णय दिनांक 05.07.219 के निर्णयों से सही व उचित ठहराया है, फिर भी अपीलान्ट द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रश्नागत आदेश के विरूद्ध बिना लोकस स्टेण्डाई के मियाद बाहर अपील पेश की है, जो कतई विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि प्रश्नगत आदेश जो वसीयत बहक रेस्पोडेन्ट महेन्द्र कुमार के पारित हुआ है वह विधि सम्मत तथा सही रूप से पारित किया गया है इसके विरूद्ध मौजूदा अपीलार्थी को अपील पेश करने का कोई अधिकार विधि अनुरूप नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि के मुताबिक अपीलार्थी अपने हक, हकूक खातेदारी अधिकार जब तक घोषित नही करवाते तब तक प्रश्नागत आदेश जो मुकम्मिल विधि अनुरूप पारित हुआ है को चुनौती देने का कोई अधिकार नही है। इस वजह से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 सी.पी.सी. खारिज कर अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वयं ने अपनी अपील में अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के हकपूर्वाधिकारी के कब्जे काश्त में है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हकपूर्वाधिकारी ताराचन्द ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर की डिक्री दिनांक 06.12.1972 अपने हक में प्राप्त कर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा लिया है जिसके सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में प्रकरण विचाराधीन रहे है तथा अपीलार्थी के हकूक अधिकारों की घोषणा का दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर के समक्ष विचाराधीन ही है जिसमें अपीलार्थी के हक हकूक अधिकारों की घोषणा अभी तक नही हुई है। ऐसी स्थिति में

P.T.O.

अतिरिक्त आयुक्त
जयपुर

न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के वादग्रसत आराजी में अधिकारों की घोषणा ही नही की गई है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा द्वारा वादग्रस्त आराजी के मृतक खातेदार ताराचन्द की वसीयत के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2017 के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार अपीलार्थी को प्रदत्त नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट की किसी प्रकार की लोकस स्टेण्डाई साबित नही होने से अपील अपीलान्ट भी खारिज की जाती है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।